भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3143
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के समक्ष आने वाली चुनौतियां

3143. श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के कार्यान्वयन के दौरान ऋण संबंधी पहुंच, कौशल विकास, बाजार संपर्क और अवसंरचना उपयोग के संबंध में चिन्हित की गई चुनौतियां क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) उक्त योजना के तहत वर्तमान में कार्यात्मक इनक्यूबेशन केंद्रों की संख्या कितनी है और क्या सरकार का सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सामान्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किसी संकेतक का उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए ऐसे मूल्यांकन के आधार पर किए जा रहे उपाय क्या हैं; और
(ङ) पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत इनक्यूबेशन और सहायता सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भावी योजनाएँ क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की सहायता करने के उद्देश्य से जून, 2020 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना शुरू की गई थी, ऐसे सूक्ष्म उद्यम जो बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और आमतौर पर ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्केटिंग लिंकेज और क्षमता निर्माण की कमी से प्रभावित हैं। योजना घटकों को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के सामने आने वाली इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मांग आधारित योजना होने के कारण, सबसे बड़ी कार्यान्वयन चुनौती संभावित उद्यमियों द्वारा पर्याप्त संख्या में पूर्ण आवेदन और कार्यान्वयन बैंकों द्वारा उनकी मंजूरी करना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ़्टेम) के परामर्श से खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं और सभी द्वारा आसान पहुंच के लिए योजना पोर्टल पर दर्शाई गई हैं। राज्य कार्यान्वयन विभागों / एजेंसियों द्वारा जिलों में पर्याप्त संख्या में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) को नियुक्त किया गया है ताकि आवेदकों का पूरी तरह से इस ऑनलाइन और आसान प्रक्रिया में मार्गदर्शन किया जा सके और उनकी मदद की जा सके। कुल 12 राष्ट्रीयकृत, 20 निजी और 165 अन्य बैंक जनता तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन में भागीदारी कर रहे हैं। आवेदकों को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों (एसएलटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और मास्टर प्रशिक्षकों, जिला स्तरीय प्रशिक्षकों और निजी प्रशिक्षण भागीदारों के साथ ऐसे संस्थानों का एक निकाय बनाया गया है। उद्यमिता विकास के अलावा, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आवेदकों को उचित परियोजना निर्माण में मदद करते हैं जिससे बैंकों द्वारा परियोजना की स्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है। संचार के उपयुक्त माध्यम से योजना के प्रचार के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रतिशत बजट निर्धारित किया गया है। योजना के प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और भाग लेने वाले बैंकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ख): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 76 अनुमोदित इंक्यूबेशन केंद्रों में से 21 इंक्यूबेशन केंद्र प्रचालनरत हैं। इसके अलावा, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के सृजन के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और इसके संघों/सहकारी समितियों/ सरकारी एजेंसियों को सामान्य अवसंरचना/

मूल्य श्रृंखला / इंक्यूबेशन केंद्र के साथ खाद्य प्रसंस्करण लाइन स्थापित करने के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से अधिकतम 3 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। सीएफसी की पर्याप्त क्षमता अन्य इकाइयों और जनता द्वारा हायरिंग आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध है।

(ग): यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान करती है। गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मास्टर प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ़्टेम), कुंडली और निफ़्टेम, तंजावुर द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, और खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफआईसीएसआई) द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ये मास्टर प्रशिक्षक, बदले में, जिला स्तर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं, जिन्हें एफआईसीएसआई द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। योजना के अंतर्गत केवल प्रमाणित प्रशिक्षकों को ही प्रशिक्षण देने की अनुमति है।

राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों (एसएलटीआई) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और समन्वय किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण वितरण की निगरानी राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा नियुक्त जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसमें सीखने के परिणामों और प्रशिक्षण प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए लाभार्थियों के प्रशिक्षण आचरण और आंतरिक मूल्यांकन का सत्यापन शामिल है। इसके अलावा, प्रशिक्षण मॉड्यूल और लाभार्थी उपस्थिति सहित सभी प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी डेडिकेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल पर रखी जाती है, और सफल अपडेशन और रिकॉर्ड के सत्यापन पर भागीदारी प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जारी किए जाते हैं।

(घ): प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निफ़्टेम-कुंडली और निफ़्टेम-तंजावुर द्वारा गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय संस्थानों से इनपुट के साथ विकसित किया गया है। राज्यों और अन्य हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर, वर्तमान आवश्यकताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री को लगातार अद्यतन किया जाता है। निफ़्टेम देश भर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए नई खाद्य प्रौद्योगिकियों और डोमेन-विशिष्ट विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन वेबिनार भी आयोजित करता है।

दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, निफ़्टेम ने लाभार्थियों के लिए निरंतर सीखने का समर्थन करने के लिए 199 प्रस्तुतियों, 192 वीडियो, 190 डीपीआर और 198 हैंडबुक/पाठ्यक्रम सामग्री के साथ 779 ओडीओपी प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं।

(ङ): इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्यता और प्रस्तावों के अधीन, उच्च मांग वाले ओडीओपी समूहों में इंक्यूबेशन सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके अलावा, यह योजना प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उत्पाद विकास और परीक्षण सेवाओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योग निकायों के साथ सहयोग को बढ़ावा देती है।

*****